वित्तीय स्वीकृति

संख्या-4/2018/579/52-3-18-बजट(16)/2015टी0सी0

प्रेषक,

भवेश रंजन,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, लखनऊः दिनांक 14 मार्च, 2018

विषयः-केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा/मकतब शिक्षा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा □□ □0-456 हेतु वर्ष 2015-16 हेतु स्वीकृत प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने □□संबंध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0-एफ-8-6/2017 □□ 19, दिनांक 12.10.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उल्लेखनीय है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0-एफ-8-6/2017 □□ 19, दिनांक 12.10.2017 द्वारा लाट सं0-456 मदरसों हेतु (प्रथम किश्त) की धनराशि रू0 1206.72 लाख का प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.10.2017 के प्रस्तर के अनुसार प्रथम किश्त की धनराशि रू0 603.36 लाख अवमुक्त की गयी है। वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग द्वारा मात्र रू0 603.36 लाख की धनराशि राज्य समेकित निधि में जमा होने की पुष्टि की गयी है। चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत केन्द्रांश के रूप में रू0 03,36,36,90,000/- का आय व्ययक प्राविधान हैं। जिसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में रू0 49,40,19,750/- की धनराशि अवमुक्त की गयी है तथा अवशेष धनराशि रू0 2,86,96,70,250/- है। अतः मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त लाट के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के मानदेय की प्रथम किश्त की धनराशि रू0 06,03,36,000/- (रू छः करोड़ तीन लाख छत्तीस हजार ः) □□ 06 □□ □□ □□□□□ □□□ अधोलिखित विवरण के अनुसार स्वीकृत किया जाना हैः-

क्रं0 □0 प्रस्ताव □□□□□

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	560 स्नातक शिक्षकों का मानदेय रू0 6000/- प्रति दर से 6 □□ □□	201.60
2	558 परास्नातक/□□0□□0 शिक्षकों का मानदेय रू0 12,000/- प्रति दर से 6 □□ □□	401.76
	□□	603.36

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 06,03,36,000/- (रू छः करोड़ तीन लाख छत्तीस हजार मात्र) □□ □0-456 के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के मानदेय के 06 □□ □□ □□□□ □□ निम्नंाकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कर आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते हैः-

(1) राज्य सरकार द्वारा अनुदानित या वेतन/मानदेय दिये जाने वाले मदरसा शिक्षकों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर दिनांक 31.03.2018 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, ताकि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से मानदेय/वेतन मद में दोहरा भुगतान न होने पाये एवं पारदर्शिता □□ □□

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं समय≤ पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि मदरसों के अस्तित्व के संबंध में पूरी तरह से आश्वस्त होने एवं आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन) के शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों के अध्यापन की पुष्टि होने के पश्चात यू डायस कोड के मिलान एवं मदरसा पोर्टल पर सत्यापन के उपरान्त ही धनराशि भुगतान की जायेगी। यह भी पुनः देख लिया जायेगा ' लाभान्वित मदरसा भारत सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजनाव्तगत निर्गत गाइड लाइन की समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों को पूर्ण करता है। यदि किसी मदरसें में अनियमित भुगतान किया जाता है, □□ □□□□लिये संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पूर्णतया उत्तरदायी होंगे तथा अनियमित रूप से भुगतान की गयी धनराशि की वसूली नियमानुसार उनसे सुनिश्चित की जायेगी।

(4) निदेशक एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे स्वीकृत धनराशि का दिशा-निर्देशो के अनुसार सदुपयोग सुनिश्चित करेगें। किसी भी दशा में अस्तित्वहीन मदरसे तथा अस्तित्वहीन शिक्षक को धनराशि वितरित न हो, वितरण तभी सुनिश्चित किया जायेगा जो वास्तव में उपस्थित रह कर मदरसों में शिक्षण कार्य सुनिश्चित कराया गया हों। वितरण पारदर्शी तरीके से होगा तथा व्यय का पूर्ण लेखा-जोखा व अभिलेख सुरक्षित रखने क दायित्व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत योजना की धनराशि का उपयोग

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रमाण पत्र अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा, जो धनराशि व्यय नही हो सकती उसकी जानकारी विवरण सहित शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) शिक्षकों के मानदेय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि से उसी अवधि के मानदेय का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि के लिए धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है।

(□□) पूर्व में स्वीकृत प्रथम किश्त की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की शर्त के अधीन यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उक्त के साथ ही साथ प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र एक माह के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) उक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि निदेशक/ रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित मदरसों को अनुदान की धनराशि तभी निर्गत की जायेगी, जब वह मदरसे के संबंध में □□□□/शासनादेशों के अन्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार समस्त मानकों की पूर्ति संबंधी प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति से संतुष्ट हो लेंगे।

5. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 □□ □□-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय □□□□□□/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों □□□□ □□□□ मदरसों का आधुनिकीकरण (के0100/□□0-□□0)- 20-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□ □□□) □□□□□□ □□□ □□□□□

6. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/□□-1-1190/ □□-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 एवं पत्र सं0-12/2017/□□-1-1455/ □□-2017-231/2017, दिनांक 20.11.2017 में निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(□□□ □□□)
संयुक्त सचिव

संख्या- 579/52-3-18 तददिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त निदेशक(□□0□□0) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) □□□□ □□□□, शास्त्री भवन नयी दिल्ली।

2- □□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

3- □□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□

4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय, □□□□□□□□ (□□□-प्रथम) सत्यनिष्ठा □□□, थार्न हिल रोड, इ□□□□□□

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, □0प्र0 □□□□□

6- □□□□, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 श□□□□

7- निदेशक उर्दू/प्राच्य भाषायें, □0प्र0 □□□□

8- रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□ □□□, □□□□ □

9- वित्त (ई-11) □□□□/वित्त (आ□-व्ययक) □□□□-1(02 प्रतियों में)/ि□□□□ □□□□-3 □□□□ □□□□□

10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(□□□ □□□)
सयंुक्त सचिव

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in